

हुयम या चर्यावासी मय इमिशियल अज

नम्बर व तारीख
अदकाम जो इस
हुयम की तामील में
जारी हुए

मन्दिर मुरी बनाम कुकटविहारण वगै.
प्रा. पत्र 212 आर. टी. एकद

13. 2. 14 आज यह प्रा. पत्र प्रार्थी धारा 212 आर. टी. एकद का
वकील प्रार्थगिण ने अप्रार्थगिण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थगिण को
जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन
किया गया कि आराजी विवादित हाल ख. सं. 792/0. 08,
2838/0. 03, 2839/0. 23, 3021/009, 3022/001, 3025/009,
2848/0. 01, 2849/0. 08, 2850/0. 12 है. वाके ग्राम तालाब तह.
राजगढ़ में स्थित है जो आराजी मन्दिर श्री श्याम जी महाराज की
है को रहन बय आदि से दीगर जगह मुन्तकिल न करें न कोई नवीन
निर्माण कार्य करें। प्रार्थगिण को विवादित आराजी से मन्दिर
के भोग खर्च व मन्दिर विकास के लिये आराजी के उपयोग व उपभोग
में व्यवधान न करें गलत इन्ड्रान की आड में जबरन कब्जा न करें न
दीगर को कब्जा करायें। साथ में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

प्रा. पत्र प्रार्थी शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते
हुये अप्रार्थगिण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक
28. 3. 14 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी
को मौका व रिकार्ड को स्थिति यथोक्त बनाये रखें। साथ में
नोटिस भी जारी हो कि इस सम्बन्ध में उन्हे कोई एतराज हो
दि. 28. 3. 14 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो

उप-खण्ड अधिकारी राजगढ़
राजगढ़ जिला-अलवर

3/4/14 आज महु पत्रावली प्रा. पत्र
बाबत बढाये जाने स्वयंम अडेश
पर तलब होकर पेश हुई। इस
अमात्रालय का पूर्व स्वयंम अडेश
डिनांक 13/2/2014 आराजी तारीख
पेशी 20/6/2014 तक बढाया जाता है
20/6/2014
पत्रावली निमत डिनांक को पेश हो।

उप-खण्ड अधिकारी
राजगढ़ जिला-अलवर

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'अप-खण्ड अधिकारी']

१३

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

दस्तावेज या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

०३/११/२५ पगावली घेरा। वकील
 प्राची उप. / मुलावाद ०९/२५
 CPC में खारीज हो जाने के
 कारण प्र. पग २१२ भी ०९/२५
 CPC में खारीज किया जाता है।
 पगावली नगर से कम होकर
 मुलावाद में ०१/५५१५ के
 साथ सलग्न होकर जमा है।

[Handwritten signature]
 १३/११/२५